मुकदमा सं0—278/44/07
उनवान— मन्दिर मूर्ति गंगा जी/सुन्दरलाल
निर्णय दिनांक— 07.05.2018

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फा0ट्रे0), चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टांकरडा)

पीठासीन अधिकारी :— सीमा शर्मा (R.A.S)

उनवान

माफी मन्दिर मूर्ति श्री गंगाजी विराजमान वाके ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (नाबालिक मूर्ति) जरिये नेक्स्ट फेण्ड— लच्छु उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र घासी, जाति मीणा, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...........वादी मन्दिर

बनाम

1. सुन्दरलाल पुत्र विजयलाल बुनकर, जाति बलाई, निवासी खुटेटों का मौहल्ला, कस्वा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। **मृतक दौराने दावा। नाम हजफ।**
2. रामगोपाल अग्रवाल पुत्र नामालूम, जाति महाजन, निवासी शिव शक्ति एन्टरप्राईजेज, प्रोपर्टी एण्ड बिल्डर्स, नींदड मोड पुलिया के पास, तन हरमाडा, जिला जयपुर।
3. उप पंजियक चौमूं, तहसील चोमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

...........प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट ....
मुकदमा नम्बर :—**278/44/07**
निर्णय दिनांक :—**07.05.2018**

वादी की ओर से **स्वंय व वादी अधिवक्ता** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **07.05.2018** को **सीमा शर्मा(R.A.S)**(नाम पीठासीन अधिकारी), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फा0ट्रे0), चौमूं के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि —

वाके ग्राम टांकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर के खाता संख्या 885 रकबा 1.16 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण मन्दिर की भूमि में किसी प्रकार से कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे, नाही भूमि को प्लाटों में बेचान करे, ना ही निर्माण करे ना ही खुर्द—बुर्द करें, ना ही कोई कॉलोनी हेतु रास्ता कायम करें ना ही उक्त कार्य स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन—ठेकेदार से करवाये। प्रतिवादी संख्या 3 उक्त आराजी के बाबत् कोई प्लाट, भूखण्ड का विक्रय पत्र तस्दीक करे व प्रतिवादी संख्या 4 उक्त आराजी में रिकॉर्ड में किसी प्रकार से परिवर्तन करे, ना ही अन्य से करवाये। साथ ही उक्त भूमि माफी मन्दिर शाशक्त मन्दिर मूर्ति नाबालिंग की होने से तहसीलदार लैण्ड होल्डर होने से उक्त भूमि को खुर्द—बुर्द होने से रोके तथा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

यह आज तारीख 07.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सीमा शर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट(फा0ट्रे0),चौमूं (जयपुर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.02 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] के खर्चे

वादी		[illegible]वादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2	शक्ति पत्र के लि[illegible]	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए [illegible]	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		वकालतनामा की [illegible]	1
4.वकालतनामा फीस	1	साक्षियों के लिए [illegible]ह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय		आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

7/5/18	पत्रावली आज न्याय. आपके द्वार कैम्प कोर्ट टांकड़ा में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता के उपस्थित। वादी द्वारा दर्व में प्रस्तुत शपथ-पत्र साक्ष्य बाबत को तस्दीक किया गया। दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये। वकिल वादी के प्रार्थना-पत्र नाम इजाफ का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होना अवगत कराया तथा मुकदमे में दादरसी स्थाई निषेधाज्ञा की अतः प्रतिवादी का नाम इजाफ कर लाल स्याही से मृतक डोराने डावा अंकित किया जावे। वकिल प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना-पत्र नाम इजाफ का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक डोराने डावा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का	[signature]

[signature]

[stamp] ... (फास्ट ट्रेक) ... (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.02 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

माफी मंदिर गंगा बनाम सुन्दरलाल वगै०

संख्या 278/44/07

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर श्री गंगाजी वास्ते देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसका खसरा नं. 885 रकबा 1.16 हे० किस्म बारानी I है ग्राम टांकरडा में स्थित है। वादी मन्दिर मूर्ति नाबालिग है प्रतिवादीगण का वादी मन्दिर की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन वादी मन्दिर के हक में बखूबी साबित होता है। वादी मन्दिर की भूमि की पैदावार मन्दिर के भोग, पूजा, अर्चना आदी के काम आती है माफी मन्दिर की भूमि मन्दिर मूर्ति नाबालिग व शाश्वत की आय का एकमात्र स्रोत है। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 885 रकबा 1.16 हे० वाके ग्राम टांकरडा, तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर में प्रतिवादीगण मन्दिर की भूमि में किसी प्रकार से कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे, ना ही भूमि को प्लाटों में बेचान करे, ना ही निर्माण करे ना ही खुर्द-बुर्द करे, ना ही कोई कॉलोनी हेतु रास्ता कायम करे ना ही उक्त कार्य स्वयं करे ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन, ठेकेदार से करवाये। प्रतिवादी संख्या 3 उक्त आराजी के बाबत कोई प्लाट, भूखण्ड का विक्रय पत्र तस्दीक करे व प्रतिवादी संख्या 4 उक्त आराजी के रिकार्ड में किसी प्रकार से प[illegible] करे, ना ही अन्य से करवाये। [illegible] शाश्वत मन्दिर मूर्ति [illegible] से तहसीलदार लैण्ड होल्डर होने से उक्त भूमि को [illegible]ड-बुर्द होने से रोके तथा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.02 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

माफी मन्दिर गंगा॰ बनाम सुन्दरलाल वगै॰

नाम न्यायालय

केस संख्या 278/44/07

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
		~~पेशकार ... ...~~ ~~निर्णय~~ निर्णय आज दिनांक 7-5-18 को कैम्प कोर्ट/ न्याय आपके द्वार में मेरे द्वारा लिखाया ~~...~~ गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर इन्द्राज रजि॰ से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ... (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.02 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner